## साइट क्लीयरेंस अनुमोदन प्रदान करना

**आवेदन संख्या: एवी.20015/006/2008-एडी**

**आवेदक का नाम:** बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

**पता:** 5-गोर्की टेरेस (द्वितीय तल),
कोलकाता- 700017, पश्चिम बंगाल

**निर्णय:** सक्षम प्राधिकारी ने पंजाब के लुधियाना जिले के मच्छीवाड़ा में सार्वजनिक उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु साइट क्लीयरेंस प्रदान की है, (जो निर्देशांक 31° 0' से 31° 5' और 76° 5' से 76° 10' पूर्व तक फैला हुआ हैं) जो रक्षा मंत्रालय के दिनांक 18.02.2008 के पत्र संख्या 3(48)/2008/डी(एयर-II) (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत लागू शर्तों के अध्यधीन है।

ह/-

**(ओमा नन्द)**
**अवर सचिव, भारत सरकार**
दूरभाष- 24640214

दिनांक: 25.02.2009

**भारत सरकार**

**नागर विमानन मंत्रालय**

**साइट क्लियरेंस अनुमोदन प्रदान करना**

**आवेदन संख्या:** एवी.20015/02/2011-एडी
**आवेदक का नाम:** मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड
**पता:** बाम्बे हाउस, 24
होमी मोदी स्ट्रीट,
फोर्ट, मुम्बई-400001

**निर्णय:** सक्षम प्राधिकारी ने झारखंड में जमशेदपुर के निकट सारिकेला खारवावां के आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जगन्नाथपुर, बलरामपुर और सालडीह गांव) के वार्ड संख्या 1 और 2 के क्षेत्रों को शामिल करते हुए सार्वजनिक उपयोग के लिए एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए साइट क्लियरेंस प्रदान की है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पत्र संख्या 2(9)/2012/डी(एयर-II) दिनांक 04.07.2012 के तहत लगाई गई निम्नलिखित शर्तों और घरेलू परिचालनों के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारतीय विमानपतन प्राधिकरण की टिप्पणियों के अनुपालन के अध्यधीन है।

**साइट क्लियरेंस की शर्तें**

(क) युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों, आंतरिक अशांति आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए रेडियो नेविगेशन सहायता सहित हवाईअड्डा सेवाएं निःशुल्क तथा आवश्यक सीमा तक उपलब्ध कराना।

(ख) रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए निर्बाध लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएं प्रदान करना तथा इसमें लैंडिंग और पार्किंग शुल्क से मुक्त और रक्षा संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं और उपकरण प्रदान करना भी शामिल है।

(ग) प्रस्तावित हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले सैन्य विमानों को लैंडिंग/हाउसिंग शुल्क से छूट दी जानी चाहिए। इस हवाईअड्डे पर स्थापित रेडियो नेवीगेशन सहायक उपकरणों को भारतीय वायुसेना के अनुरोध पर सैन्य विमान परिचालन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वे आईएएफ एलएफए और फायरिंग रेंज वीओडी-171 से पूर्णतः क्लियर हों। ऑल इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रियाओं के लिए आईएएफ की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

(ङ) प्रस्तावित हवाईअड्डे के लिए नियंत्रित विमान क्षेत्र, यदि कोई हो, को भारतीय वायुसेना के समन्वय के साथ स्थापित किया जाएगा।

(च) समन्वय उद्देश्यों के लिए हवाईअड्डे के एटीएस प्रदाता द्वारा वायु सेना स्टेशन, सूर्यलंका के साथ एक सीधी संचार लाइन प्रदान की जाएगी।

(छ) सैन्य विमानों के लिए एक अलग पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(ज) भारतीय वायुसेना एन्क्लेव, एएफएमएलयू और ग्राउंड क्रू को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचा भी प्रदान किया जाएगा।

(झ) हवाईअड्डे को कार्यशील करने से पहले, परिचालन एजेंसी के अभिविन्यास, निगरानी घंटे, वीएचएफ आवृतियों, टेलीफोन/फैक्स नंबर जैसे विवरण कैटको, एसएसी मुख्यालय, अक्कुलम, त्रिवेंद्रम को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ञ) रक्षा भूमि के अधिग्रहण, यदि कोई हो, के लिए अलग से अनापति प्राप्त की जाएगी।

**ह/-**

**(ऊमा नंद)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**

**टेली-24640214**

**दिनांक: 11.07.2012**

**सं. एवी.20015/010/2009-एडी**

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

एडी अनुभाग

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली

दिनांक: 07.08.2012

सेवा में,

श्री संजीव पॉल,

उपाध्यक्ष, कॉर्पोरेट सेवाएँ,

टाटा स्टील लिमिटेड, जीवन भारती बिल्डिंग,

टावर 1, दसवां तल, 124 कन्नोट सर्कस,

नई दिल्ली.

**(शुद्धि पत्र)**

**विषय: सार्वजनिक उपयोग हेतु घरेलू परिचालन के लिए झारखंड के जमशेदपुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए 'साइट क्लीयरेंस' प्रदान करना - मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड का प्रस्ताव।**

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 11.07.2012 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें झारखंड में जमशेदपुर के निकट सारिकेला खारवावां के वार्ड संख्या 1 और 2, आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जगनाथपुर, बलरामपुर और सालडीह गांव) के क्षेत्रों को शामिल करते हुए सार्वजनिक उपयोग हेतु घरेलू परिचालन के लिए स्थल पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए साइट क्लीयरेंस प्रमाण पत्र (मूल रूप में) संलग्न है और साथ ही यह भी कहने का निदेश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 04.07.2012 के संदर्भ पत्र की संख्या 2(9)/2012/डी(एयर-II) के स्थान पर दिनांक 12.07.2012 के 2(9)/2012/डी(एयर-II) के रूप में पढ़ी जाए। रक्षा मंत्रालय के दिनांक 12.07.2012 के पत्र संख्या 2(9)/2012/डी(एयर-II) के अनुसार साइट क्लीयरेंस की शर्त को भी संशोधित किया गया है। 'साइट क्लीयरेंस' की शेष शर्त वही रहेगी।

2. आपसे अनुरोध है कि तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (टीईएफएस)/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयार करने की प्रस्तुति लें तथा इसकी 12 प्रतियां कृपया आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस मंत्रालय को तत्काल उपलब्ध कराएं।

आपका,

**ह/-**

**(सय्यद इमरान एहमद)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**

दूरभाष-24616025

**सूचना हेतु प्रति प्रेषित:**

1. मुख्य सचिव, (श्री एस के चौधरी), झारखंड सरकार, झारखंड सचिवालय, रांची,
2. रक्षा मंत्रालय, (ध्यानार्थ: श्री ए एस चौधरी, अवर सचिव), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।
4. डीजीसीए, सफदरजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली।

**ह/-**

**(सय्यद इमरान एहमद)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**

**संलग्नक: यथोपरि।**

**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**

**साइट क्लियरेंस अनुमोदन प्रदान करना**

**आवेदन संख्या:** एवी.20015/86/2015-एडी

**आवेदक का नाम:** दिल्ली मुंबई इंड्स्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी)

**पता:** रूम नं. 341बी, थर्ड फ्लोर, होटेल अशोक, डिप्लोमैटिक इन्कलेव, 50-बी, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021

**निर्णय:** सक्षम प्राधिकारी ने राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी के निकट सार्वजनिक उपयोग के लिए एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु साइट क्लियरेंस प्रदान कर दिया है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पत्र संख्या 3(8)/2011/डी(एयर-II) दिनांक 11.02.2015 द्वारा लगाई गई निम्नलिखित शर्तों, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उनके यू.ओ. संख्या एवी.20015/06/2011-एएल दिनांक 9 दिसंबर, 2011 द्वारा लगाई गई शर्तों और हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997/ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति 2008 के प्रावधानों सहित अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण की आपत्तियों के अनुपालन के अध्यधीन है।

**साइट क्लियरेंस की शर्तें**

i. अनापत्ति केवल ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए है और रक्षा भूमि पर *अधिग्रहण या निर्माण करने का कोई अधिकार* नहीं है।

ii. प्रस्तावित हवाईअड्डे हेतु विमान क्षेत्र, एटीएस मार्ग, यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय वायुसेना के प्रतिबंधित विमान क्षेत्र/एलएफए का उल्लंघन नहीं करेगा।

iii. प्रस्तावित हवाईअड्डे से उड़ान भरने वाले सभी विमानों को निर्धारित वायु रक्षा मंजूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। आईएएफ, एटीएस इकाइयों के साथ मानक एटीएस समन्वय प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

iv. हवाईअड्डे के आयाम, नेविगेशन एड्स, अप्रोच एड्स, कम्यूनिकेशन एड्स, विमान क्षेत्र संचालन प्रक्रिया, निगरानी घंटे, परिचालन में कार्यरत महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण से संबंधित जानकारी, परिचालन शुरू होने से पहले सीएटीसीओ, डब्ल्यूएसी मुख्यालय को सूचित की जाएगी।

v. रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क से मुक्त, निर्बाध लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही रक्षा परिचालनों के लिए भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बुनियादी ढांचा सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।

vi. हवाईअड्डे पर स्थापित रेडियो नेविगेशनल एड्स को भारतीय वायुसेना के अनुरोध पर सैन्य विमानों के परिचालन के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

vii. नए हवाईअड्डे के संचालन के लिए विस्तृत एटीएस और समन्वय प्रक्रियाओं को सीएटीसीओ, डब्ल्यूएसी मुख्यालय के समन्वय से तैयार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय वायुसेना के परिचालन प्रभावित न हों।

viii. हवाईअड्डे के निर्माण की शुरुआत और पूरा होने की सूचना सीएटीसीओ, डब्ल्यूएसी मुख्यालय को दी जाएगी।

ix. विमान क्षेत्र के उपयोग के लिए अलग से अनापति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

x. कंपनी द्वारा भारत में नियोजित किए जाने वाले विदेशी नागरिकों/भारतीय प्रतिनिधियों के लिए गृह मंत्रालय/आसूचना ब्यूरो और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की जानी आवश्यक है।

xi. अन्य संबंधित सरकारी संगठनों/एजेंसियों से आवश्यकतानुसार अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

xii. इस अनापति की वैधता, इसके जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक है। जिस निर्माण के लिए अनापति जारी की गई है, यदि वह जारी होने के पांच वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता है या मूल प्रस्ताव से भिन्न पाया जाता है तो अनापति को अमान्य माना जाएगा। प्रस्ताव के लिए नई अनापति प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

xiii. चूंकि यह हवाईअड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, नई दिल्ली से 150 किलोमीटर के हवाई मार्ग के भीतर स्थित है, इसलिए प्रस्तावित हवाईअड्डे के संचालन को मौजूदा आईजीआई हवाईअड्डे के संतृप्ति बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे एएआई द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 2024-25 तक प्राप्त किए जाने की संभावना है। मेसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को राज्य समर्थन समझौते के खंड 3.4 के तहत भारत सरकार द्वारा उन्हें दिए गए "इनकार का प्रथम अधिकार" का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

**ह/-**

**(यू. के. भाटिया)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**

**टेली-24640217**

**दिनांक: 18.11.2015**

**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**

**साइट क्लियरेंस अनुमोदन प्रदान करना**

**आवेदन संख्या:** **एवी.20015/6/2016-एडी**

**आवेदक का नाम:** **मैसर्स तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसीएल)**

**पता:** **6वां तल, परिश्रम भवन, फतेह मैदान रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-500004 (तेलंगाना)।**

**निर्णय:** संचालन समिति ने तेलंगाना के खम्मम जिले के कोठागुडेम में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के 27 जून, 2016 के कार्यालय ज्ञापन, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के 22 जून, 2016 के यूओ नोट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के 3 जून, 2016 के यूओ नोट और विभिन्न केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित शर्तों और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, 'सार्वजनिक उपयोग' श्रेणी के लिए **कोठागुडेम, जिला खम्मम, तेलंगाना में एक घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'साइट क्लियरेंस' प्रदान की है।

**साइट क्लियरेंस प्रदान करने हेतु शर्तें**

(i) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के प्रावधानों के अनुरूप आस-पास के क्षेत्र में स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाईअड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से अपेक्षित मंजूरी मिलनी चाहिए।

(iii) वायु सेना स्टेशन हकीमपेट के संबंध में अनापत्ति 'विमानन परिप्रेक्ष्य' से है और इसे भूमि के स्वामित्व सहित किसी भी अन्य उद्देश्य/दावे के लिए दस्तावेज के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(iv) भारतीय वायु सेना द्वारा भारतीय वायु सेना के हवाई क्षेत्र को साझा करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हेलीपोर्ट से भारतीय वायु सेना के परिचालन पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने वाले किसी भी परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) भारतीय वायु सेना के आरएएनएडीएस की आवृत्तियों के साथ किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचने के लिए, आवेदक को एओसी, वायुसेना स्टेशन हकीमपेट से आवृत्तियों के लिए पूर्व मंजूरी (लिखित में) लेनी होगी।

(vi) प्रस्तावित हवाईअड्डे से सभी विमान परिचालन वैध हवाई रक्षा मंजूरी के साथ किए जाएंगे।

(vii) आवेदक को खोज और बचाव कार्यों के लिए पहले से पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। इस संबंध में भारतीय वायुसेना कोई जिम्मेदारी/दायित्व नहीं उठाएगी।

(viii) आवेदक को भारतीय वायुसेना पर किसी भी वित्तीय प्रभाव के बगैर प्रभावी समन्वय के लिए हवाईअड्डे और हकीमपेट एटीसी के बीच संचार सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करना होगा।

(ix) प्रस्तावित हवाईअड्डे के संचालन से पहले, इसके निगरानी घंटों, रेडियो/सहायक उपकरणों की सहायता की आवृतियों और प्रमुख नियुक्तियों के संपर्क विवरण की जानकारी सीएटीसीओ, टीसी आईएएफ बैंगलोर मुख्यालय और सैटको, वायुसेना स्टेशन हकीमपेट को सूचित की जाएगी।

(x) कंपनी/हेलीपोर्ट प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा हेलीपोर्ट के किसी भी गैरकानूनी उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(xi) प्रचालक रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए रेडियो दिक्चालन-सहायता उपकरणों, लैंडिंग और पार्किंग सुविधाओं सहित हवाईअड्डा सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेगा। इसके लिए, हेलीपोर्ट प्रचालक को पार्किंग क्षेत्र, तकनीकी सहायता सेवाएं, पारगमन और अन्य सेवाओं को पहले से ही चिह्नित करना होगा।

(xii) जब भी अनुरोध किया जाएगा, हवाईअड्डे पर रेडियो नेविगेशनल सहायता उपकरणों को सैन्य विमान परिचालन के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा।

(xiii) आवेदक को अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों (भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय, गृह मंत्रालय आदि सहित) से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

(xiv) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण की शुरुआत और पूरा होने की सूचना कैटको, टीसी आईएएफ बैंगलोर मुख्यालय और सैटको, वायु सेना स्टेशन हकीमपेट को दी जाएगी।

(xv) इस अनापत्ति की वैधता, इसके जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक है। जिस निर्माण के लिए अनापत्ति जारी की गई है, यदि वह जारी होने के पांच वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता है या मूल प्रस्ताव से भिन्न पाया जाता है तो अनापत्ति को अमान्य माना जाएगा। प्रस्ताव के लिए नई अनापत्ति प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

**ह/-**
**(वैंकटरमन हेगड़े)**
**निदेशक**
**टेली-24610366**

**दिनांकः 07.10.2016**

**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**

**साइट क्लियरेंस अनुमोदन प्रदान करना**

**आवेदन संख्या:** एवी.20015/169/2015-एडी
**आवेदक का नाम:** एम पी रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
**पता:** 45-ए, एरेरा हिल्स,
भोपालः 462011

**निर्णय:** सक्षम प्राधिकारी ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा ओएलएस की मंजूरी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाधाओं को हटाने/स्थानांतरित करने और हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित रक्षा मंत्रालय के दिनांक 9.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन, डीजीसीए के दिनांक 11.01.2016 के नोट और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के दिनांक 22.03.2017 के यूओ नोट में निहित प्रेक्षणों के अध्यधीन, मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली, बैढन में सार्वजनिक उपयोग के लिए **सिंगरौली घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'साइट क्लियरेंस' की मंजूरी दे दी है।

**'साइट क्लियरेंस' अनुमोदन हेतु शर्तें**

(i) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।
(ii) प्रमोटर को सभी नियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
(iii) प्रमोटर को ओएलएस में चिह्नित की गई बाधाओं और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण/नागर विमानन महानिदेशालय की आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्थानांतरित करने के लिए सभी कदम उठाने होंगे।

ह/-
**(एस. वी. रमन)**
**अवर सचिव, भारत सरकार**
**टेली-24610374**

**दिनांकः 05.09.2017**

**भारत सरकार**

**नागर विमानन मंत्रालय**

**साइट क्लियरेंस अनुमोदन प्रदान करना**

**आवेदन संख्या:** **एवी.20015/9/2017-एडी**

**आवेदक का नाम:** **महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)**

**पता:** **8वां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफे परेड, मुंबई 400005.**

**निर्णय:** सक्षम प्राधिकारी ने पुरंदर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए **पुरंदर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'साइट क्लीयरेंस' की मंजूरी दे दी है, जो रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के दिनांक 22.02.2018 के कार्यालय ज्ञापन, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दिनांक 16.02.2018 और 20.04.2018 के नोट, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई) के दिनांक 22.02.2018 और 17.4.2018 के नोट में निहित प्रेक्षणों और हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

**'साइट क्लियरेंस' अनुमोदन हेतु शर्तें**

(i) नागर विमानन मंत्रालय शर्त हटाने और परिचालन को नए हवाईअड्डे पर स्थानांतरित करने के मामले को रक्षा मंत्रालय के समक्ष, इस शर्त के साथ उठाएगा कि मौजूदा पुणे हवाईअड्डे को बंद नहीं किया जाएगा और दोनों हवाईअड्डे नागरिक उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ii) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार होना चाहिए।

(iii) प्रमोटर को सभी नियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और परियोजना को अनापत्ति के समय उसमें निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

**ह/-**

**(वेंकटरमन हेगड़े)**
**निदेशक**
**टेली-24610366**

**दिनांकः 08 मई, 2018**

****